झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

## —: अधिसूचना :—

राँची, दिनांक— 19/09/2019 ई०।

सं0—17/चौ०द० (कोर्ट केस)—11/2018—4998/झारखण्ड राज्य अंतर्गत चौकीदार के पदों पर नियुक्ति हेतु नियमावली अधिसूचना संख्या—2032, दिनांक—07.04.2015 द्वारा निर्गत है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P.(S) No-960/2016 सलन चम्पिया एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के साथ W.P.(S) No-516/2016, W.P.(S) No-1653/2016, W.P.(S) No-980/2016, W.P.(S) No-1597/2016, W.P.(S) No-6366/2016, W.P.(S) No-6365/2016 एवं W.P.(S) No-1148/2016 में दिनांक—23.07.2018 को निम्न न्यायादेश पारित किया गया है :—

....... "In the facts and circumstances of the case and after perusing the records as well as various directions passed by this Court as well as by the Hon'ble Apex Court, I hereby dispose of the writ petition directing the respondents to float fresh advertisement for regular appointment of Chowkidars within a period of three months and the same shall be guided by the orders and directions passed by this Court as well as by the Hon'ble Apex Court. The respondents shall also consider the case of the petitioners and other similarly situated persons for granting age relaxation and also for granting weightage for their past services. Needless to say the persent petitioners will be entitled to apply irrespective of their present age, subject to fulfillment of eligibility requirements."

2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालन में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा चौकीदार संवर्ग की भर्त्ती, सेवा शर्त्तों एवं प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या—2032, दिनांक—07.04.2015 की कंडिका 5(4), 7 एवं 8 में एकबारगी निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :—

(i) कंडिका— 5(4) द्वारा निम्न प्रावधान निरूपित है:— उम्र सीमा— चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित उम्र सीमा संबंधी प्रावधान लागू होगें।

उक्त प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :—

कंडिका—5(4)— उम्र सीमा—सामान्य अभ्यर्थियों के लिए चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय—समय पर निर्धारित उम्र सीमा संबंधी प्रावधान लागू होगें। परन्तु पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों (माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायादेश से प्रभावित/अच्छादित) के लिए अधिकतम उम्र सीमा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उदभूत न्यायादेश यथा **"entitled to apply irrespective of their present age, subject to fulfillment of eligibility requirements."** के अनुरूप होगी। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा को संदर्भित कर्मियों के मामले में मात्र एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल

(ii) कंडिका– 7 में प्रावधानित नियुक्ति प्रक्रिया में उप कंडिका–(5) के बाद उप कंडिका–
रूप में निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है :–

कंडिका–7(6) **माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायादेश से उद्भूत एवं प्रभावित/अच्छादित अभ्यर्थियों के संदर्भ में कार्यानुभव के लिए नियुक्ति पदाधिकारी, साक्ष्य आधारित सम्पुष्टि के उपरांत, 02 अंक प्रत्येक पूर्ण 01 (एक) वर्ष की दर से अधिकतम 20 अंक देय होगा।**

(iii) कंडिका– 8–मेधा सूची–लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत एवं शारीरिक जांच में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

उक्त प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

कंडिका–8 मेधा सूची– **लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।**

3. उक्त प्रावधान का प्रयोग मात्र एक बार होने वाली नियुक्ति के लिए ही मान्य होगी तथा इसे पूर्व उदाहरण नहीं माना जायेगा। यह नियुक्ति चौकीदार के रिक्त पदों के विरूद्ध की जायेगी। एक बार नियुक्ति के पश्चात यह प्रावधान स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।

4. अधिसूचना संख्या–2032, दिनांक–07.04.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से लागू होगा।

19/09/19

(रवि शंकर वर्मा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–17/चौ०द० (कोर्ट केस)–11/2018–4998/ राँची, दिनांक– 19/09/2019 ई०।

**प्रतिलिपि**– नोडल पदाधिकारी ई–गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/09/19

**सरकार के अपर सचिव।**

ज्ञापांक–17/चौ०द० (कोर्ट केस)–11/2018–4998/ राँची, दिनांक– 19/09/2019 ई०।

**प्रतिलिपि**– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा० मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/प्रधान सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/प्रधान सचिव, विधि (न्याय) विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/09/19

सरकार के अपर सचिव।